

न्यायालय सहायक कलक्टर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा/60/2019

दर्ज दिनांक:-04.06.2019

हरदेव पुत्र श्री विपती जाति ब्राह्मण निवासी जघीना तहसील व जिला भरतपुर।

.....वादी

**बनाम**

1. सार्वजनिक निर्माण विभाग भरतपुर
  2. पप्पी पुत्र रोहताश
  3. बृजेन्द्र पुत्र रोहताश
  4. मांगीलाल पुत्र विपती
  5. सुन्दर पुत्र रोहताश
  6. सुशील कुमार पुत्र विपती
- .....असल प्रतिवादी
- जाति ब्राह्मण निवासी जघीना  
तह. व जिला भरतपुर।

उपस्थित:

-----  
-----

.....तरतीवी प्रतिवादीगण  
वादी अभिभाषक  
प्रतिवादीगण अभिभाषक

**निर्णय**

दिनांक:-09.12.2019

आज यह पत्रावली वादी हरदेव पुत्र विपती जाति ब्राह्मण निवासी जघीना भरतपुर के प्रार्थना पत्र पर पेश हुई। प्रार्थी की ओर से वकील श्री किशोर सिंह सिंघल अधिवक्ता द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। प्रार्थी ने जरिए वकील उपस्थित होकर प्रा०पत्र पेश कर निवेदन किया है कि वह अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रार्थी ने अपने दावा को खारिज करने का निवेदन किया है। हमने प्रार्थी को सुना। पत्रावली का अवलोकन किया। वादी अपने दावा को आगे नहीं चलाना चाहता है ऐसी स्थिति में दावा वादी Not Press में जाने पर इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दा० द० हो।

सत्यमेव जयते

(SANJAY GOYAL)

सहायक कलक्टर, भरतपुर

Web Copy - Not Official